

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5663/2026

मेसर्स एससीसी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: देवेंद्र सिंह, प्रविन्द्र सिंह
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: सी.एस.सी., तेजस्वी मिश्रा

एएफआर

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन द्वारा प्रदत्त)

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेंद्र सिंह, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री तेजस्वी मिश्रा और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
- प्रस्तुत रिट याचिका दिनांक 14.11.2025 के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत शिकायत संदर्भ संख्या 137/2025 (श्रीमती बॉबी बग्गा बनाम अध्यक्ष/निदेशक/सक्षम प्राधिकारी, मेसर्स एससीसी बिल्डर्स, प्राइवेट लिमिटेड) का निस्तारण किया गया है।
- याचिकाकर्ता का एकमात्र तर्क यह है कि पहली ही तारीख को शिकायत का निर्णय हो गया था।
- हमने अभिलेखों का अवलोकन किया है। आदेश पत्र अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि 90% विकलांग आबंटिती को बिल्डर द्वारा एस.सी.सी. सफायर नामक परियोजना में फ्लैट संख्या डी 509, ब्लॉक - डी आवंटित किया गया था; समझौते की शर्तों के अनुसार, उन्हें पार्किंग संख्या यूबी - 37 भी आवंटित की गई थी। बाद में, आठ वर्षों के बाद, बिल्डर द्वारा एक और फ्लैट बेचा गया। इसके परिणामस्वरूप, उसने पार्किंग संख्या यूबी 37 को यूबी 37 ए और 37 बी में विभाजित कर दिया, जो मूल रूप से श्रीमती बॉबी बग्गा को आवंटित की गई थी।

6. उपरोक्त कार्रवाई से व्यथित होकर उन्होंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से संपर्क किया, जिसने 16.09.2025 को निरीक्षण किया और 25.10.2025 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य आयुक्त ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि मौके पर निरीक्षण संबंधित पक्षों की उपस्थिति में किया गया था और इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि श्रीमती बॉबी बग्गा द्वारा की गई शिकायत सही थी।

7. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया था और राज्य आयुक्त के समक्ष उसके प्रतिनिधि के तर्क पर भी विचार किया गया था। संदर्भ के लिए, आक्षेपित आदेश के निम्नलिखित अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

"उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेष कार्याधिकारी, प्रभारी प्रवर्तन जो-1, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद की आख्या पत्रांक 1470/ प्रवर्तन जो-1/आई०जी०आर०एस 0/2025 दिनांक 25-10-2025 जोकि जिलाधिकारी, गाजियाबाद को सम्बोधित एवं शिकायतकर्ता को पृष्ठांकित है, में उल्लिखित किया गया है कि राजनगर एक्सटेंशन में स्थित ग्रुप हाउसिंग एससीसी सफायर के बिल्डर द्वारा शिकायतकर्ता को अन्वंटित पार्किंग स्थान यू०बी०-37 को विभाजित कर दो भागों में बांट दिया गया है, जिस कारण शिकायतकर्ता को पार्किंग, से लिफ्ट तक जाने में परेशानी हो रही है, के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा ईमेल के माध्यम से भी शिकायत की गयी थी, के सम्बन्ध में पुनः आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग के विकासकर्ता के प्रतिनिधि एवं

शिकायतकर्ता श्रीमती बोबी बग्गा के साथ दिनांक 16.09.2025 को पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल पर श्रीमती बोबी बग्गा से कई स्थानों पर गाड़ियां खड़ी कराकर लिफ्ट में जाने तक देखा गया। स्थल पर श्रीमती बोबी बग्गा द्वारा बताया गया कि उनको यूबी-37 नम्बर की पार्किंग आवंटित हुई थी जिसे बिल्डर द्वारा दो भागों में विभाजित करते हुए अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया गया है, जिस कारण श्रीमती बोबी बग्गा को लिफ्ट तक जाने में परेशानी हो रही है।

तदोपरान्त सहायक अभियन्ता, प्रवर्तन जोन-1 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या-173/प्रवर्तन जोन-1/2025 दिनांक 03-10-2025 द्वारा मै० एस०सी०सी० बिल्डर्स प्रा०लि०, ग्रुप हाउसिंग एस०सी०सी० सफायर, राजनगर एक्सटेन्शन, गाजियाबाद को निर्देशित किया गया है कि सुश्री बॉबी बग्गा फ्लैट संख्या डी-509 को मूल पार्किंग स्थान स्वीकृत मानचित्र एवं अनुबन्ध के अनुसार आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

मा० न्यायालय द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की उपरोक्त आख्या दिनांक 25-10-2025 के परिशीलनोपरान्त पृच्छा की गई कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को आवंटित पार्किंग को 08 साल बाद परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को आवंटित एक बड़ी पार्किंग को दो भागों में विभाजित कर आधे भाग को अन्य आवंटी को प्रदान किया जाना वाणिज्यिक परिदृश्य नहीं है? विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को पार्किंग आवंटित किए जाने के उपरान्त उसे निरस्त परिवर्तित क्यों किया गया? क्या विपक्षी को ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता सुश्री बॉबी बग्गा (90 प्रतिशत चलन क्रिया दिव्यांग) बार-बार मा० न्यायालय अथवा अन्य किसी प्राधिकरण में आने-जाने में समर्थ हैं? मा० न्यायालय द्वारा की गई पृच्छाओं को विपक्षी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया किन्तु बिन्दुवार उत्तर प्रदान किए जाने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई जिसे मा० न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया।"

8. "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में 19 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं पर विचार करते हुए, विभिन्न अधिकारों के साथ-साथ उपयुक्त सरकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। यह निर्विवाद है कि अधिनियम के

अंतर्गत मुख्य आयुक्त या दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त द्वारा की जाने वाली जांच को संक्षिप्त कार्यवाही माना जाता है, जिसे लंबी और औपचारिक होने के बजाय त्वरित, कुशल और सुलभ बनाने के लिए बनाया गया गया है। यह मंच एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और आयुक्त एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए दीवानी न्यायालय के रूप में कार्य करता है, अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर गवाहों को बुलाने, साक्ष्य प्राप्त करने और अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण को लागू करने के लिए सशक्त है। हालांकि, यह एक संक्षिप्त कार्यवाही होने के कारण और प्रक्रिया का उद्देश्य शीघ्र निवारण प्रदान करना है, अधिनियम संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों को भी प्रभावी बनाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13.12.2006 को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर अपना सम्मेलन अपनाया था। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कुछ सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जिसमें "पहुँच" भी शामिल है। भारत उक्त सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है और उसने 1.10.2007 को इसकी पुष्टि भी की है। इन्हीं सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए संसद ने उक्त कानून, अर्थात् "दिव्यांगजनों का अधिकार अधिनियम, 2016" बनाया है।

9. इस तंत्र का एक पहलू शीघ्र निवारण प्रदान करना है और इसी कारण अधिनियम, 2016 की धारा 23(3) के तहत यह प्रावधान है कि शिकायत दर्ज होने के 2 सप्ताह के भीतर उसकी जाँच की जाएगी। हम यह भी पाते हैं कि अधिनियम, 2016 के अध्याय VII के तहत उच्च सहायता की आवश्यकता वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष रूप से अधिनियम, 2016 की धारा 44 के तहत। यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रतिष्ठान को किसी भी संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि भवन निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है।

10. संदर्भ के लिए, धारा 44 को नीचे उद्धृत किया गया है:

"44. पहुँच सन्नियमों का आज्ञापक रूप से अनुपालन - (1) किसी स्थापन को किसी संरचना के निर्माण की मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि भवन योजना में धारा 40 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं किया जाता है।

(2) किसी स्थापन को तब तक पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा या भवन का अधिभोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों का पालन नहीं करता है।"

11. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि फोरम इस तथ्य से अवगत था कि मूल पार्किंग एक ऐसी इमारत में आवंटित की गई थी, जिसे अनुमोदित मानचित्र की जांच के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, जो अनिवार्य रूप से अधिनियम, 2016 की धारा 44 के आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक था। याचिकाकर्ता के उपस्थित प्रतिनिधि ने भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि मूल आवंटन रद्द नहीं किया गया था और यह तथ्य भी स्वीकार किया गया था कि मूल आवंटित पार्किंग को बाद में मूल आवंटिती की सहमति के बिना विभाजित किया गया था। उपरोक्त साक्ष्य और स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए, चूंकि कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की थी, आयुक्त ने पैराग्राफवार उत्तर मांगने को आवश्यक न समझते हुए, अभिलेख पर मौजूद स्वीकृत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही की।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह पूछे जाने पर कि यदि आयुक्त द्वारा और रियायत दी जाती, तो आक्षेपित आदेश में दिए गए निष्कर्ष के विपरीत कौन सी आपत्ति या दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते थे; उन्होंने केवल इस तर्क पर भरोसा किया था कि कार्यवाही कथित तौर पर एकतरफा थी, जिसे जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि कार्यवाही में शामिल था और उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मूल आवंटन रद्द नहीं किया गया था और क्या वह पांच साल बाद मूल आवंटन को चुनौती दे सकता था। इसलिए, आयुक्त का यह दृष्टिकोण कि 90% विकलांगता वाले आवंटी को इधर-उधर नहीं भटकाया जा सकता और इस तथ्य के कारण कि विकास प्राधिकरण ने पहले ही मौके पर निरीक्षण किया था और 25.10.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसका याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि ने खंडन नहीं किया था, गलत नहीं ठहराया जा सकता; और तदनुसार हमें कार्यवाही में कोई त्रुटि या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं मिलता है।

13. इस समय न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि "अभिगम्यता का अधिकार", जो अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है (हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम उमेद राम शर्मा 1986 (2) एससीसी 68), इतना व्यापक है कि इसमें

"सामुदायिक जीवन में पहुँच का अधिकार" भी शामिल है और इसका विस्तार किया जा सकता है। ये अधिकार दिव्यांग व्यक्तियों (एतस्मिनपश्चात् "दिव्यांगजन" कहा गया है) को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने, समाज में भाग लेने और दूसरों के समान अपने अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 भी स्थानों और सेवाओं तक समान पहुँच का समर्थन करता है। *(देखें: जीजा घोष बनाम भारत संघ (2016) 7 एससीसी 761; राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ (2018) 2 एससीसी 413; रविंदर कुमार धरवाल बनाम भारत संघ, 2023 (2) एससीसी 209; विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग, 2021 (5) एससीसी 370 और राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ और अन्य 2024 (1) एससीसी 654)*

14. अभिगम्यता का अधिकार अब केवल सार्वजनिक अवसंरचना में सुलभता के सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं रह सकता; बल्कि अब यह मांग करता है कि "सामुदायिक जीवन" में भी, जहां लिफ्ट, फुटपाथ, खेल के मैदान, सामुदायिक केंद्र और व्यायामशाला आदि जैसी सामान्य सुविधाएं मौजूद हैं, "सुगम्यता का अधिकार" निर्बाध होना चाहिए।

15. सामुदायिक जीवन के लिए निर्मित भवन के मानचित्र को मंजूरी देते समय, विकलांग व्यक्तियों के लिए लिफ्ट जैसी सामान्य सुविधाओं तक स्पष्ट और निर्बाध पहुँच के साथ पार्किंग स्थान को ध्यान में रखा जाना चाहिए; और सामान्य सुविधाओं (पार्किंग स्थल से लिफ्ट तक पहुँच सहित) की पहुँच में कोई भी परिवर्तन या बाधा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाना चाहिए। *राजीव रतूड़ी बनाम भारत संघ और अन्य, 2024 (1) एससीसी 654* के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने "पहुँच के अधिकार" के मुद्दे पर विचार करते हुए, 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों' पर एक समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया; और पाया कि पहुँच समूहों से संबंधित है, जबकि उचित सुविधा व्यक्तियों से संबंधित है। राज्य पक्षों को पहुँच मानक निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिन पर 'दिव्यांग व्यक्तियों' के संगठनों के साथ बातचीत की जानी चाहिए, और सेवा प्रदाताओं, बिल्डरों और अन्य संबंधित हितधारकों के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। पहुँच मानक व्यापक और मानकीकृत होने चाहिए, खासकर उन व्यक्तियों के मामले में जिनकी दिव्यांगता को ध्यान में नहीं रखा गया है। पहुँच मानकों को पहुँच प्राप्त करने के लिए उपलब्ध तरीकों, विधियों और अर्थों का उपयोग करने के लिए विकसित किया गया था; और जहाँ दिव्यांगता मानकों का अनुप्रयोग उन्हें पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, ऐसे मामलों में, उचित सुविधा के सिद्धांत लागू हो सकते हैं।

16. उचित सुविधा प्रदान करने का कर्तव्य एक *एक्स-मंक* कर्तव्य है, जिसका अर्थ है कि यह उस क्षण से लागू होता है जब किसी दिव्यांग व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है; और किसी दी गई स्थिति में, व्यक्तिगत सुविधा इसका उद्देश्य व्यक्तिगत न्याय सुनिश्चित करना है, जिसमें व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और पसंद को ध्यान में रखते हुए गैर-भेदभाव और समानता सुनिश्चित की जाती है; और इस प्रकार, ऐसी स्थिति में भी समायोजन की आवश्यकता हो सकती है जो पहुंच मानक के दायरे से बाहर हो। इसे प्रदान करना है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह उचित है या इससे अनुचित और असंगत जांच का बोझ पड़ता है।

17. न्यायालय इस तथ्य से भी सहमत है कि विधि का शासन यह भी मांग करता है कि चलने-फिरने में असमर्थता, दृष्टिहीनता, श्रवण एवं वाक् दोष, तंत्रिका विकास संबंधी विकार, अधिगम अक्षमता, बहु-विकलांगता या दुर्घटनाओं, अपराधों आदि के पीड़ितों को उन मामलों में संरक्षण प्रदान किया जाए, जिनमें विकलांगता दैनिक कार्यों में सामान्य रूप से बाधा डालती है। धारा 34, धारा 40 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले अभिगम्यता नियमों के अनिवार्य अनुपालन और उनके अनुपालन न करने के परिणामों से संबंधित है; जिसके उपखंड (1) में कहा गया है कि किसी भी प्रतिष्ठान को किसी भी संरचना के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि भवन योजना धारा 40 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करती है; और उपखंड (2) में कहा गया है कि किसी भी प्रतिष्ठान को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा या किसी भवन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं किया हो। अतः, भवन योजना तैयार करने और निर्माण पूर्ण होने, दोनों चरणों में अभिगम्यता नियमों का अनिवार्य अनुपालन अधिनियम द्वारा परिकल्पित है।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि आयुक्त ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मौके पर निरीक्षण के दौरान, श्रीमती बॉबी बग्गा के सार्वजनिक सुविधा जैसे लिफ्ट तक पहुंच के अधिकार का आकलन परिस्थितियों को देखकर किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि क्या उनके वाहन को अलग-अलग स्थानों पर पार्क करने से उनकी विकलांगता को देखते हुए उन्हें लिफ्ट तक निर्बाध पहुंच मिल रही थी; और यह पाया गया कि बिल्डर द्वारा उनके पार्किंग स्थल को दो भागों में विभाजित करने से उन्हें लिफ्ट तक पहुंचने में कठिनाई हो रही थी।

19. हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 'अभिगम्यता का अधिकार' केवल सार्वजनिक स्थानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार के रूप में, इसे ऐसी संरचना या भवन तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए जिसका उपयोग "सामुदायिक जीवन" के रूप में किया जा रहा है; और इस प्रकार, सुलभता का अधिकार, जो एक मौलिक अधिकार है, आवासीय भवनों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो लिफ्ट, फुटपाथ, खेल के मैदान, सामुदायिक केंद्र, व्यायामशाला आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करने की आवश्यकता को पूरा करते हैं। किसी भी दिव्यांग व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि उसे किसी भवन या संरचना में उपलब्ध सामान्य सुविधाओं तक पहुंच का अधिकार हो, जो किसी निवासी को आश्रय प्रदान करती है।

20. उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता आवंटन पत्र को अभिलेख पर लाने में विफल रहा है, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सकता था कि श्रीमती बॉबी बग्गा को आवंटित पार्किंग यूबी-37 थी; और वीरेंद्र सिंह को आवंटन किए जाने के बाद ही मूल आवंटिती की सहमति के बिना पार्किंग को 37ए और 37बी में विभाजित किया गया था; फिर भी याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि को विधिवत सुना गया और आक्षेपित आदेश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की निरीक्षण रिपोर्ट पर आधारित है, जो पक्षों की उपस्थिति में की गई थी। इसके बाद ही 25.10.2025 की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

21. रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि 90% विकलांगता वाली आवंटिती के लिए वैकल्पिक पार्किंग खोजने के प्रयास किए गए थे, लेकिन यह पाया गया कि कोई अन्य पार्किंग उनके लिए उपयुक्त नहीं है; उनके फ्लैट के लिए लिफ्ट तक पहुंचने के लिए भी यह उपयुक्त नहीं है और इस कारण से भी, वैकल्पिक व्यवस्था संभव नहीं थी।

22. इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल उन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां याचिकाकर्ता के साथ स्पष्ट अन्याय हो रहा हो और इस प्रकार न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा हो, जिससे याचिकाकर्ता को कुछ हानि हो रही हो। वर्तमान मामले में, हमें याचिकाकर्ता को कोई हानि नहीं हुई है; इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के पार्किंग स्थल को एकतरफा रूप से दो पार्किंग स्थलों में विभाजित करना आवंटित व्यक्ति के लिए हानिकारक है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता; और उपरोक्त स्वीकृत स्थिति और दस्तावेजों के मद्देनजर,

आक्षेपित आदेश में कोई खामी या विकृति नहीं पाई जा सकती है और न ही याचिकाकर्ता को कोई हानि हुई है और न ही अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का कोई उल्लंघन हुआ है।

23. उपरोक्त और कार्यवाही की प्रकृति को देखते हुए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करते हैं।

24. यद्यपि, मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:-

(i) उत्तर प्रदेश राज्य के विकास प्राधिकरणों को आवश्यक दिशानिर्देश शामिल करने चाहिए, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि दिव्यांगजनों को अनुचित स्थिति में न डाला जाए और ऐसे सामुदायिक जीवन के लिए स्वीकृत मानचित्रों में यह आवश्यक हो कि विकलांग व्यक्तियों के लिए उचित पार्किंग स्थान बनाए जाएं, जहां से लिफ्ट जैसी सामान्य सुविधा तक स्पष्ट पहुंच हो; और दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए अन्य सामान्य सुविधाओं जैसे फुटपाथ, खेल के मैदान, सामुदायिक केंद्र, व्यायामशाला आदि तक पहुंच के प्रावधान भी किए जाएं।

(ii) सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी संरचना के निर्माण की अनुमति देने और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के चरण में लागू अभिगम्यता नियमों का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करे; और यह भी सत्यापित किया जाए कि अभिगम्यता नियमों का निर्धारित अनुसार अनिवार्य अनुपालन किया गया है।

25. उपरोक्त के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन) (न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन)

26 फरवरी, 2026

आरकेजी